

144 धारा 144

आदेश पत्रक

रुखमणी देवी की

बनाम

जितु मधु की

तारीख

से

तक

सन् 20

M-24/2018

5046/5-118

6/3/18

आदेश का क्रम-संख्या
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख--सहित

3

खुदी थाना अप्राथमिकी संख्या 3/18 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव है और शांति भंग होने की आशंका है। थाना प्रभारी ने द० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा की है।

69
6/3/18

जमीन का विवरण

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
गुटजौरा	167	709	0-30 1/2 एकड़

नहीं

उत्तर - अर्जुन मधु का घर
 दक्षिण - उम्वी मुष्ठा का खाली जमीन
 पश्चिम - P.C.C रोड
 पुरब - धुश मुष्ठा का खाली जमीन

अतः मैं अनु० दण्डा० खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करे तकरारी जमीन पर जागे से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ।

उभय पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें।
 दिनांक 16/3/18 को रखें।

6/3/18
 अनुमंडल दण्डाधिकारी,
 खूँटी

1/8 उमयपन अनुपरिण 176 के विपरीत
रुक अरुच उपरिण पुता: दि. 24/4/18
का 22वें

1/8 विपरीत के ही अरुच उपरिण पुता: दि. 28/4/18
का 22वें

4/18 उमयपन अनुपरिण पुता: दि. 3/5-18
का 22वें

3/5/18 विपरीत के ही अरुच उपरिण पुता: दि.
4/5/18 का 22वें

4/5/18 उमयपन अनुपरिण पुता दि. 5/5/18
का 22वें

5/5/18 उमयपन अनुपरिण 1 समग्र सीमा
सुमाय होने के कारण वारकी कार्यवाही के
— निम्न कारण

5/5/18